बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या –पी0आर0 ..../2021

वार्षिक माध्यमिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा, 2021 की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के उद्देश्य से प्रधान परीक्षकों एवं सह–परीक्षकों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र समिति के वेबसाइट पर अपलोड रहने तथा औपबंधिक नियुक्ति पत्र की हार्ड कॉपी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध रहने के संबंध में आवश्यक सूचना।

एतद् द्वारा राज्य के माध्यमिक स्तर के सभी विद्यालय प्रधान, शिक्षक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा0) एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2021 की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के उद्देश्य से समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन विद्यालय प्रधान द्वारा अपने विद्यालय में कार्यरत विषयवार शिक्षकों की सूची किये गये ऑनलाइन अद्यतन/अपलोड के आधार पर प्रधान परीक्षक एवं सह परीक्षक के औपबंधिक नियुक्ति पत्र समिति **के वेबसाईट biharboardonline.bihar.gov.in एवं teach.biharboardonline.com पर** जारी किया जा चुका है एवं इसकी हार्ड कॉपी विद्यालयवार पैकिंग कर समिति के विशेष दूत के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में समिति के **पत्रांक के०–06, दिनांक 04.01.2021 के द्वारा** विशेष दूत के माध्यम से भेजा जा चुका है।

2. सभी विद्यालय प्रधान से अनुरोध है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में प्रेषित औपबंधिक नियुक्ति पत्र को स्वयं अथवा विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित विषय के शिक्षक को इसे अविलंब उपलब्ध करा देंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र **समिति के वेबसाईट biharboardonline.bihar.gov.in एवं teach.biharboardonline.com पर उपलब्ध Link "शिक्षक औपबंधिक नियुक्ति पत्र (मा०), 2021"** पर क्लिक कर शिक्षक स्वयं भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

3. यदि किसी विषय के शिक्षक, जिनका उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के उद्देश्य से प्रधान परीक्षक/सह परीक्षक के लिए औपबंधिक नियुक्ति पत्र समिति के उक्त वेबसाइट पर अपलोड किया गया है अथवा औपबंधिक नियुक्ति पत्र की हार्ड कॉपी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया गया है, उसमें से यदि किसी शिक्षक का स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति/देहावसान हो गया हो, तो ऐसे प्रधान परीक्षकों/सह परीक्षकों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र विद्यालय प्रधान कारणसहित अपने अग्रसारण पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में वापस कर देंगे। उक्त आशय की सूचना उप निदेशक आई0टी0 (मा0) के **ई–मेल आई0डी0 teachdirbsebsec2021@gmail.com** पर अनिवार्य रूप से भेज देंगे, ताकि उन शिक्षकों का नाम शिक्षक डायरेक्टरी, 2021 में संशोधन किया जा सके।

4. किसी शिक्षक के औपबंधिक नियुक्ति पत्र के विवरण में त्रुटि परिलक्षित हो, तो साक्ष्य के साथ आवेदन **ई–मेल आई0डी0 teachdirbsebsec2021@gmail.com पर** भेजकर अनिवार्य रूप से त्रुटि का सुधार करा लेंगे ताकि त्रुटिरहित मूल नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा सके।

5. **उल्लेखनीय है कि समिति के वेबसाइट पर अपलोड अथवा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त होने वाले प्रधान परीक्षक/सह–परीक्षक का यह औपबंधिक नियुक्ति पत्र है, जो मूल्यांकन के लिए मान्य नहीं है। मूल्यांकन कार्य हेतु केवल वही प्रधान परीक्षक/सह–परीक्षक संबंधित मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान देंगे, जिन्हें समिति द्वारा बाद में मूल नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा।**

6. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार से अनुरोध है कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र जिलान्तर्गत विद्यालय के प्रधान को संबंधित शिक्षकों को हस्तगत कराने हेतु उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी विद्यालय प्रधान के द्वारा अपने अग्रसारण पत्र के साथ किसी अनधिकृत परीक्षक का औपबंधिक नियुक्ति पत्र की हार्ड कॉपी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में वापस किया जायेगा, तो परीक्षा नियंत्रक माध्यमिक का नाम अपने अग्रसारण पत्र के साथ ससमय समिति कार्यालय के मुख्य भवन स्थित केन्द्रीय प्रशाखा (मा0) में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

9/1/2021

09/01/2021

9/1/2021

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

(P.T.O)

Newspaper C1_21_1

ज्ञापांक : ......क्रै0. 27....../ पटना, दिनांक : ...09.../...01.../2021

प्रतिलिपि : 1. जन सम्पर्क पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. उप निदेशक, आई0टी0/सिस्टम एनालिस्ट को सूचनार्थ भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि वर्णित आलोक में अनिवार्य रूप से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। साथ ही निर्दिष्ट ई–मेल आई0डी0 पर प्राप्त आवेदन के आलोक में परिलक्षित त्रुटि के परिमार्जन के लिए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही किसी भी परिस्थिति में जिन विद्यालयों की मान्यता/संबद्धता रद्द/निलंबित/वापस ली जा चुकी है, वैसे विद्यालयों से किसी भी शिक्षक का औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं हो, का नियमित पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करेंगे तथा सतर्क रहेंगे। यह भी निदेश है कि इस विज्ञप्ति में अंकित आवश्यक सूचनाओं से जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित विद्यालय के प्रधान तथा शिक्षकों को अवगत कराने हेतु इसे समिति के निर्दिष्ट **Mobile App** पर अनिवार्य रूप से डालना सुनिश्चित करेंगे।

4. अध्यक्ष/सचिव के आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/परीक्षा नियंत्रक (उ0मा0), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

9/1/2021 9/1/2021 9/1/2021

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

09/01/2021 9/1/2021